न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), रामसनेहीघाट, न्यायालय सं0–14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या–61/2002

CNR No. UPBB180000462002

जनाका देवी (मृतक) आदि बनाम सगीर अहमद आदि।

29.10.2025

पत्रावली आज वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र ग–6 प्रस्तुत हुई। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षों को पूर्व में प्रार्थना पत्र ग–6 पर सुना गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र ग–6 अन्तर्गत आदेश–39 नियम–1 जाब्ता दीवानी

उपरोक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वादिनी द्वारा मुख्यतः यह कथन किया गया है कि वादिनी/प्रार्थिनी व श्रीमती विन्धा देवी पत्नी राम प्रसाद व फैज मोहम्मद पुत्र मुश्ताक अहमद सम्मिलित रूप से मालिक व काबिज बतौर संक्रमणीय भूमिधर बाग नम्बरी 588 क्षेत्रफल 0.228 स्थित ग्राम रसूलपुर कला, परगना रूदौली तहसील रामसनेहीघाट, जनपद– बाराबंकी के रहे है, जिसमें प्रार्थिनी का 5/12 व श्रीमती विन्धा देवी पत्नी राम प्रसाद का 5/12 व फैज मोहम्मद पुत्र मुश्ताक अहमद का 2/12 हिस्सा है। उक्त बाग का बाहमी बटवारा प्रार्थिनी व श्रीमती विन्धा देवी पत्नी राम प्रसाद व फैज मोहम्मद पुत्र मुश्ताक अहमद के मध्य हो गया है, जिसके अनुसार बाग का भाग जो नक्शा नजरी सलंग्न प्रार्थना पत्र में लाल रंग से दिखाया गया है, प्रार्थिनी को मिला और उस पर प्रार्थिनी तनहा मालिक व काबिज चली आती है। विपक्षीजन 1 ता 9 का किसी प्रकार का कोई हक या कब्जा उक्त बाग या प्रार्थिनी के हिस्से से कभी 18 नहीं रहा है और न है। विपक्षीजन नम्बरी 1 ता 9 गांव के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और प्रार्थिनी व उसके पति को बराबर परेशान किया करते हैं, यह सब लोग आपस में एक दूसरे के मेली मददगार है तथा सब मिल कर प्रार्थिनी व उसके घरवालों को बेजा तौर पर परेशान करने की नियत से प्रार्थिनी के हिस्से की भूमि पर रास्ता निकाल कर ताजिया का जुलूस निकालेंगे, जिसकी खुली धमकी दे रहे हैं, विदित हो कि प्रार्थिनी की भूमि पर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है, और न कोई जुलूस ही निकाला गया है। कुछ समय पहले सरकार की ओर से प्रार्थिनी की उक्त भूमि पर से रास्ता कायम करने की बात की गयी थी, जिस पर प्रार्थिनी ने वाद सं० 283/1999 न्यायालय श्रीमान जी सिविल जज महोदय (जू०डि०), रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी पर दायर किया, जो दिनांक 30.05.2000 को प्रार्थिनी के पक्ष में डिक्री हुआ। प्रार्थिनी के द्वारा इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बाराबंकी को दिया गया, परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, और प्रार्थिनी और उसके पति को डांट दिलायी गयी। उक्त परिस्थिति में प्रार्थिनी के पास विपक्षीजन की धमकी से बचने के लिये और अपनी जायदाद को सुरक्षित रखने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। बिनाय मुखासमत प्रार्थना पत्र हाजा माह मार्च सन् 2002 ई. जमाना धमकी मजकूरे बाला से अन्दर हद अख्तियार समात अदालत हाजा बमुकाम ग्राम सुल्तानी पुरवा मजरे रसूलपुर कला, परगना रुदौली, तहसील रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी पैदा हुई। प्रार्थिनी का प्रथम दृष्टया वाद बखूबी स्पष्ट होता है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थिनी के पक्ष में है, और यदि प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीजन को उनकी धमकी से रोका न गया तो प्रार्थिनी की अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी अन्य प्रकार से सम्भव न हो

Digitally signed by SONAM SHARMA
Date: 2025.10.29 17:09:16 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (Jr.Div.), Ramsanehighat, Barabanki.

सकेगी। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि न्यायहित में अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा दौरान मुकदमा विपक्षीजन 1 ता 9 को मना कर दिया जाये कि वह प्रार्थिनी के गाटा संख्या 588 के 5/12 भाग जो नक्शा नजरी में संलग्न प्रार्थना पत्र में लाल रंग से दिखाया गया है, पर से कोई ताजिया का जुलूस न निकाले और न ही प्रार्थिनी के कब्जे व प्रयोग में कोई हस्तक्षेप करें।

प्रतिवादीजन की ओर से आपत्ति ग–17 मय शपथ पत्र ग–18 प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि मजमून दफा हाजा मुतालिक आराजी नम्बर 588 की हकीयत से है, जिसको सिद्ध करने का भार प्रार्थिनी पर है। मजमून दफा हाजा का इल्म विपक्षीजन को नहीं है, जहां तक बंटवारे का प्रश्न है उसका इल्म प्रतिवादीजन को नहीं है और इन्कार है। जहां तक विवादित रास्ते का प्रश्न है रास्ता पचासों साल से कायम चला आ रहा है, रास्ता आम है, और उस पर आने जाने का सब ही को अधिकार है, रास्ता 589 पर है। हर साल ताजिया इसी रास्ते से गुजरते है, रास्ते के बारे में इससे पहले श्री राम दास पुत्र हीरा लाल पति प्रार्थिनी ने एक प्रार्थनापत्र राजस्व विभाग में दिया था, जिस पर लेखपाल से अपनी रिपोर्ट भी दी थी, उसमें साफ तौर पर यह बात सामने आती है कि विवादित रास्ता भूमि नं० 588 का जुज नहीं है तथा उसके दक्षिण मिला हुआ रास्ता है, इसलिये किसी प्रकार की धमकी या नया रास्ता कायम करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मजमून दफा हाजा में वाद का चलना सही है, परन्तु सरकार उत्तर प्रदेश के विरुद्ध था, उसमें प्रतिवादीजन पार्टी नहीं थे एवं जहां तक प्रतिवादीजन मालूम कर सके है कि सरकार की ओर से पैरवी न होने के कारण ही सरकार के विरुद्ध आराजी नं० 588 पर रास्ता कायम करने से रोका गया है, इसलिये आदेश दिनांक 30.05.2000 का प्रतिवादीजन पर कोई असर नहीं पड़ता है, रास्ता आराजी नं० 589 पर है। वादिनी बिना उचित कारण के महज प्रतिवादीजन को परेशान करने के लिये गलत प्रार्थना पत्र देते रहते है, मौके की जांच उपरान्त वादिनी के प्रार्थना पत्र गलत पाये जाने पर कोई कार्यवाही होने का प्रश्न ही नहीं है। प्रतिवादीजन नहीं पैदा हुई, और प्रार्थना पत्र अदम बिनाय मुखासमत काबिले एखराज है। वादिनी ने हर जगह प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादीजन को परेशान करने के लिये दिया, इन्हीं के प्रार्थनापत्र पर लेखपाल द्वारा पैमाइश की गयी और उसने भी द्वारा पैमाइश यही पाया कि विवादित रास्ता आराजी जो आबादी की शक्ल में है, जिसका नम्बर 589 है उस पर स्थित है, पैमाइश के बाद ही वादिनी ने दीवार बना कर रास्ता रोकने की कोशिश की थी। उसको उपजिला अधिकारी ने हटवा दिया, जब कहीं किसी तरह से कामयाबी नहीं मिली, तब ही परेशान करने के लिये गलत तथ्यों पर यह प्रार्थना पत्र दायर कर दिया। प्रार्थिनी का नक्शा नजरी गलत नामुकम्मल है आस–पास की कोई चीज भी नहीं दिखाई है, सही नक्शा नजरी आपत्ति के साथ दाखिल किया जा रहा है, जिसमें सब ही चीजें दिखाई गयी है, नक्शा नजरी मुन्सलिका आपत्ति को जुज आपत्ति करार दिया जावे। विवादित रास्ता भूमि सं० 588 पर नहीं स्थित है बल्कि भूमि नं० 589 पर स्थित है, तथा पचासों साल से कायम चला आ रहा है प्रतिवादीजन के मकान के पूरब ख़ड़न्जे के बाद नाली व तालाब है, दक्षिण भी नाला है, पश्चिम आबादी है, कोई रास्ता नहीं है, पूरब गांवसभा ने खड़न्जा रास्ते पर लगाया खड़न्जा जब विवादित रास्ते तक पहुंचा तब ही वादिनी ने झगड़ा शुरू किया, और खड़न्जा नहीं लगाने दिया। वादीजन एवं दीगर लोगों का वाहिद रास्ता ही इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जिसको विपक्षीजन एवं बस्ती के तमाम लोग पचासों साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वादिनी का प्राईमाफेसाई केस नहीं है, और

न ही बैलेन्स ऑफ कन्वीनियंस ही वादिनी के पक्ष में है, रास्ता कायम है तथा भूमि नं० 588 पर नहीं है, इसलिये वादिनी के नाकाबिले तलाफी नुकसान का भी प्रश्न नहीं उठता, बल्कि अगर किसी किस्म की रास्ते से सम्बन्धित रोक प्रतिवादीजन के विरुद्ध लग जाने से प्रतिवादीजन को नाकाबिले तलाफी नुकसानहोगा। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र वादिनी जेर उजुरदारी निरस्त करने की कृपा की जावे।

वादीजन ने अपने कथन के समर्थन में सूची ग–8/1 से नकल खतौनी ग–8/2, नकल खसरा ग–8/3, नकल निर्णय ग–8/4 ता ग–8/7 तथा सूची ग–50 से नकल नक्शा आबादी ग–51, नक्शा खसरा आबादी 6 वर्क, नकल छायाप्रति आकार पत्र सी.एच. 41 ग–58/1 ता ग–58/6, नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि ग–59/1 ता ग–59/2 तथा सूची ग–70 से नक्शा सी.एच. 45 ग–71, नकल सी.एच. 41 ग–72 दाखिल किये हैं।

प्रतिवादीजन ने अपने कथन के समर्थन में सूची ग–21 से आकार पत्र 41 ग–22 दाखिल किये हैं।

उभय पक्षों के तर्कों को पूर्व में सुना जा चुका है तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

वादिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अभिकथित किया गया है कि वादिनी व श्रीमती विन्धा देवी पत्नी राम प्रसाद व फैज मोहम्मद पुत्र मुश्ताक अहमद सम्मलित रूप से मालिक व काबिज बतौर संक्रमणीय भूमिधर बाग नम्बरी 588 क्षेत्रफल 0.228 स्थित ग्राम रसूलपुर कला, परगना रूदौली तहसील रामसनेहीघाट, जनपद– बाराबंकी के रहे है, जिसमें प्रार्थिनी का 5/12 व श्रीमती विन्धा देवी पत्नी राम प्रसाद का 5/12 व फैज मोहम्मद पुत्र मुश्ताक अहमद का 2/12 हिस्सा है। उक्त बाग का बाहमी बटवारा प्रार्थिनी व श्रीमती विन्धा देवी पत्नी राम प्रसाद व फैज मोहम्मद पुत्र मुश्ताक अहमद के मध्य हो गया है, जिसके अनुसार बाग का भाग जो नक्शा नजरी सलंग्न प्रार्थना पत्र में लाल रंग से दिखाया गया है, प्रार्थिनी को मिला और उस पर प्रार्थिनी तनहा मालिक व काबिज चली आती है। विपक्षीजन 1 ता 9 का किसी प्रकार का कोई हक या कब्जा उक्त बाग या प्रार्थिनी के हिस्से से कभी 18 नहीं रहा है और न है। विपक्षीजन नम्बरी 1 ता 9 गांव के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और प्रार्थिनी व उसके पति को बराबर परेशान किया करते हैं, यह सब लोग आपस में एक दूसरे के मेली मददगार है तथा सब मिल कर प्रार्थिनी व उसके घरवालों को बेजा तौर पर परेशान करने की नियत से प्रार्थिनी के हिस्से की भूमि पर रास्ता निकाल कर ताजिया का जुलूस निकालेंगे, जिसकी खुली धमकी दे रहे हैं, विदित हो कि प्रार्थिनी की भूमि पर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है, और न कोई जुलूस ही निकाला गया है। कुछ समय पहले सरकार की ओर से प्रार्थिनी की उक्त भूमि पर से रास्ता कायम करने की बात की गयी थी, जिस पर प्रार्थिनी ने वाद सं० 283/1999 न्यायालय श्रीमान जी सिविल जज महोदय (जू०डि०), रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी पर दायर किया, जो दिनांक 30.05.2000 को प्रार्थिनी के पक्ष में डिक्री हुआ। प्रार्थिनी का प्रथम दृष्टया वाद बखूबी स्पष्ट होता है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थिनी के पक्ष में है, और यदि प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीजन को उनकी धमकी से रोका न गया तो प्रार्थिनी की अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी अन्य प्रकार से सम्भव न हो सकेगी।

प्रतिवादीजन ने अपनी आपत्ति में कथन किया है कि जहां तक विवादित रास्ते का प्रश्न है रास्ता पचासों साल से कायम चला आ रहा है, रास्ता आम है, और उस पर आने जाने का सब ही को अधिकार है, रास्ता 589 पर है। हर साल ताजिया इसी

रास्ते से गुजरते है, रास्ते के बारे में इससे पहले श्री राम दास पुत्र हीरा लाल पति प्रार्थिनी ने एक प्रार्थनापत्र राजस्व विभाग में दिया था, जिस पर लेखपाल से अपनी रिपोर्ट भी दी थी, उसमें साफ तौर पर यह बात सामने आती है कि विवादित रास्ता भूमि नं० 588 का जुज नहीं है तथा उसके दक्षिण मिला हुआ रास्ता है, इसलिये किसी प्रकार की धमकी या नया रास्ता कायम करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वादिनी बिना उचित कारण के महज प्रतिवादीजन को परेशान करने के लिये गलत प्रार्थना पत्र देते रहते है, मौके की जांच उपरान्त वादिनी के प्रार्थना पत्र गलत पाये जाने पर कोई कार्यवाही होने का प्रश्न ही नहीं है। वादिनी ने अपने कथन के समर्थन में सूची ग–8/1 से नकल खतौनी ग–8/2, नकल खसरा ग–8/3, नकल निर्णय ग–8/4 ता ग–8/7 तथा सूची ग–50 से नकल नक्शा आबादी ग–51, नक्शा खसरा आबादी 6 वर्क, नकल छायाप्रति आकार पत्र सी.एच. 41 ग–58/1 ता ग–58/6, नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि ग–59/1 ता ग–59/2 तथा सूची ग–70 से नक्शा सी.एच. 45 ग–71, नकल सी.एच. 41 ग–72 दाखिल किये हैं।

हस्तगत प्रकरण में वादिनी द्वारा यह कथन किया गया है कि वादिनी को गाटा सं० 588 में बाहमी बटवारे द्वारा प्राप्त 5/12 भाग पर प्रतिवादीजन रास्ता बनाने की धमकी दे रहे हैं जबकि प्रतिवादीजन द्वारा अपनी आपत्ति में यह कथन किया गया है कि विवादित रास्ता भूमि नं० 588 का जुज नहीं है तथा उसके दक्षिण मिला हुआ रास्ता है जो गाटा सं० 589 पर है। ऐसे में प्रथम दृष्टया विवादित रास्ते को दौरान वाद संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यदि विवादित रास्ते को संरक्षित नहीं किया जाता है तो सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति उभय पक्षों के खिलाफ हो जाएगी और रही बात विवादित रास्ता किसके हक में है वह साक्ष्य का विषय है जो विचारण के उपरान्त ही निर्णीत किया जाएगा। ऐसे में प्रार्थना पत्र ग–6 निम्न आश्य से स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र ग–6 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे गाटा सं० 588 स्थित ग्राम सुल्तानी पुरवा, मजरे रसूलपुर कला, परगना रूदौली, तहसील रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी के 5/12 भाग जिसे संलग्न नक्शा नजरी में लाल रंग से दर्शाया गया है, के बाबत यथास्थिति कायम रखें।

पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 12.11.2025 को पेश हो।

(सोनम शर्मा)
सिविल जज (जू० डि०),रामसनेहीघाट,
न्यायालय सं०-14, बाराबंकी।
UP 3540